

दिश की क्रम संख्या और तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई में टिप्पणी तारीख के साथ
12.10.15	<p style="text-align: center;"><b>न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा</b>  <b>अपराध नियंत्रण वाद सं० 68/2015</b>  <b>सरकार मार्फत पुलिस अधीक्षक, सारण</b>  <b>बनाम</b>  <b>दिलीप सिंह, थाना-मांझी</b></p> <p style="text-align: center;"><b>आदेश</b></p> <p>पुलिस अधीक्षक, सारण, छपरा के पत्रांक 5461/बुनाव/गो०, दिनांक 03.10.2015 के द्वारा सक्रिय असामाजिक तत्व दिलीप सिंह, पिता-स्व० रामनरेश सिंह, सा०-मांझीपुर, थाना-मांझी, जिला-सारण के विरुद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 के अंतर्गत कार्रवाई करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। प्राप्त प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रस्ताव अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर, छपरा के ज्ञापांक 3207, दिनांक 29.09.15 पर आधारित है, जिसमें मुख्य रूप से निम्नांकित कांडों को आधार बनाया गया है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. मांझी थाना कांड संख्या-22/05, दिनांक 10.03.05 धारा-394 भा०द०वि, आरोप पत्र संख्या 49/05, दिनांक 25.05.05</li> <li>2. मांझी थाना कांड संख्या 108/07, दिनांक 25.11.07 धारा 379/11 भा०द०वि आरोप पत्र संख्या 01/08, दिनांक 20.01.08</li> <li>3. कोपा थाना कांड संख्या 65/06, दिनांक 21.04.06 धारा 395 भा०द०वि</li> <li>4. कोपा थाना कांड संख्या 18/02, दिनांक 21.10.02 धारा 414 भा०द०वि</li> </ol> <p>इसके अतिरिक्त, आसन्न बिहार विधान सभा चुनाव 2015 के मद्देनजर आपके द्वारा अपने क्षेत्र में आम जनता में भय का वातावरण पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आपके विरुद्ध इस संबंध में सनहा संख्या 485/15 एवं 508/15 दर्ज किया गया है।</p> <p>उक्त प्रस्ताव के आलोक में इस न्यायालय के ज्ञापांक 775, दिनांक 06.10.2015 के द्वारा विपक्षी से कारण पृच्छा किया गया, एवं दिनांक 12.10.15 को सुनवाई हेतु उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। सुनवाई की तिथि 12.10.2015 को विपक्षी उपस्थित नहीं हुए।</p> <p>अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिशीलनोपरांत मैं पाता हूँ एवं मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ कि नोटिस प्राप्त करने के बावजूद सुनवाई की तिथि को उपस्थित नहीं होने का स्पष्ट अर्थ है कि विपक्षी दिलीप सिंह, पिता-स्व० रामनरेश सिंह, सा०-मांझीपुर, थाना-मांझी, जिला-सारण एक आदतन अपराधी है एवं कानून के द्वारा स्थापित मानदंडों के अनुपालन में विश्वास नहीं करता है। विपक्षी के विरुद्ध आसन्न बिहार विधान सभा चुनाव 2015 के मद्देनजर शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव के संचालन के लिए धारा 3 के अंतर्गत कार्रवाई आवश्यक है। अतः मैं बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों</p>	



